दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ : प्लेक्स/सर्किट/121
दिनांक : 04-05-2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में वित्त अधिनियम (संख्या 3 ऑफ 2026) की चौथी अनुसूची द्वारा संशोधित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 01.05.2026 से प्रभावी आरओडीटीईपी अनुसूची का संरेखण

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 15/2026-27 दिनांक 30 अप्रैल 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में वित्त अधिनियम (संख्या 3 ऑफ 2026) की चौथी अनुसूची के माध्यम से संशोधित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची के संरेखण के संबंध में जारी की गई है, जो **01.05.2026 से प्रभावी है।**

इस संदर्भ में, कृपया निम्नलिखित संशोधनों को देखें:

i. 8 अंकों के स्तर पर 142 टैरिफ लाइनें आरओडीटीईपी अनुसूची के परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई में जोड़ी गई हैं।
ii. 8 अंकों के स्तर पर 50 टैरिफ लाइनें आरओडीटीईपी अनुसूची के परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई से हटा दी गई हैं।
iii. आरओडीटीईपी अनुसूची के परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई में 8 अंकों के स्तर पर 02 टैरिफ लाइनों का विवरण बदल दिया गया है।

एचएस कोड और दरों/सीमाओं सहित संपूर्ण विवरण, डीजीएफटी पोर्टल पर *विनियम → आरओडीटीईपी* के अंतर्गत उपलब्ध हैं ।

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, वित्त अधिनियम (संख्या 3 ऑफ 2026) की चौथी अनुसूची के माध्यम से, आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई) को सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के साथ संरेखित करने के लिए 01.05.2026 से संशोधित किया गया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत अधिसूचना में अपने निर्यात से संबंधित अद्यतन टैरिफ लाइनों और आरओडीटीपी दरों की समीक्षा करें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260504125607.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल